विनियामक और अन्य उपाय

अप्रैल 2010

भारिबैं/2009-10/379 शबैंवि. पीसीबी.परि.सं. 54 / 13.05.000 /2009-10 दिनांक 5 अप्रैल 2010

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

श.स. बैंक - कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारा 30 जुलाई 2008 का परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि.सं. 5/13.05.000 / 2008-09, 9 मार्च 2009 का परिपत्र शबैंवि. पीसीबी. परि. सं. 54 /13.05.000 / 2008-09, 26 जून 2009 का परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि.सं. 72 /13.05.000 / 2008-09 तथा 3 सितंबर 2009 का परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि.सं. 8 /13.05.006 /2009-10 देखें।

2. 3 सितंबर 2009 के अपने परिपत्र के माध्यम से हमने सूचित किया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 'अन्य किसानों' के खातों को भारत सरकार से 25 प्रतिशत की ऋण राहत पाने के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते वे अपने 75 प्रतिशत के संपूर्ण हिस्से का भुगतान 31 दिसंबर 2009 तक करते हों।

3. कुछ राज्यों में सूखे के कारण तथा देश के कुछ अन्य भागों में बाढ़ की तबाही को देखते हुए केंद्रीय बजट 2010-11 में की गयी घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना (कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अधीन) के अंतर्गत ''अन्य किसानों'' द्वारा अतिदेय हिस्से के 75% के भुगतान की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2009 से और छः महीने अर्थात् 30 जून 2010 तक बढ़ायी जाए। पात्र 'अन्य किसानों' को एक अथवा उससे अधिक किस्तों में 30 जून 2010 तक इस राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों / ऋणदात्री संस्थाओं को एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) के तहत पात्र राशि के 75% से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक /ऋणदात्री संस्थाएं इस अंतर को खुद वहन करें और उसके लिए न तो सरकार से दावा करें और न ही किसान से। ऋण राहत के अंतर्गत सरकार वास्तविक पात्र राशि के केवल 25% का भुगतान करेगी।

5. सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि ऋणदात्री संस्थाएं 29 फरवरी 2008 से 30 जून 2009 के बीच की अवधि के लिए पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगी। तथापि, वे पात्र राशि पर 1 जुलाई 2009 से निपटान की तारीख तक के लिए सामान्य ब्याज दर लगा सकती हैं। इसके अलावा उक्त योजना के अंतर्गत दिए गए छः महीने के विस्तार के लिए विलंबित प्रतिपूर्ति समय सारणी के अनुसार ऋणदात्री संस्थाओं को 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करते समय, भारत सरकार ऋणदात्री संस्थाओं को कोई ब्याज की अदायगी नहीं करेगा।

6. जिन मामलों में ऋण राहत योजना के दायरे में आने वाले किसानों ने एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत अपने अंश का भुगतान करने की सहमति के रूप में वचन दिया है, बैंक उनके संबंधित खातों को 'मानक'/'अर्जक' मान सकते हैं, बशर्ते -

(क) बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं से बकाया राशियों की सभी प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य में होनेवाली हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो। (इस योजना के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के आधार पर हानि की राशि की गणना करने के लिए किसानों से प्राप्त होनेवाली शेष राशि, 30 जून 2010 को देय मानी जाए और उस पर ब्याज का भुगतान उपर्युक्त पैराग्राफ 5 के अनुसार होगा। वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए नकदी प्रवाह पर उस दर से बट्टा लगाया जाना चाहिए जिस ब्याज दर पर ऋण मंजूर किया गया था और जिसमें सरकार से प्राप्त ब्याज सहायता, यदि हो, को भी शामिल किया गया हो।)

(ख)ऐसे किसान निपटान के अपने हिस्से का भुगतान संशोधित अंतिम तारीख अर्थात् 30 जून 2010 तक अनिवार्य रूप से करते हों।

7. तथापि, यदि किसानों द्वारा 30 जून 2010 तक भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे किसानों के संबंधित खातों में बकाया राशि को अनर्जक आस्ति माना जाएगा। इस तरह के खातों के आस्ति वर्गीकरण का निर्धारण अनर्जक आस्ति की मूल तिथि के संदर्भ में किया जाएगा (मानो कि उपर्युक्त वचन के आधार पर खाते को बीच की अवधि के दौरान अर्जक नहीं माना गया था)। खातों की श्रेणी को इस प्रकार घटाए जाने के बाद अतिरिक्त प्रावधान विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए।

8. ऋण राहत योजना के लिए 3 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट लेखांकन कार्रवाई का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए।

9. उपर्युक्त परिपत्रों में निहित अन्य सभी शर्तें, जिनमें प्रावधानीकरण शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगी।

भारिबैंक/2009-10/384 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 86/21.06.001/(ए)/2009-10 दिनांक 7 अप्रैल 2010

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मोडेल विधि का कार्यान्वयन

कृपया 7 जुलाई 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/21.06.001/2009-10 का

अवलोकन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को सूचित किया गया था कि जो बैंक बासल II के अंतर्गत उन्नत विधियों को अपनाना चाहते हैं वे 1 अप्रैल 2010 से बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मोडेल विधि अपनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पर्याप्त रूप से तैयार हों।

2. बासल II ढांचे में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से बाजार जोखिमों की माप के लिए दो व्यापक पद्धतियों का विकल्प दिया गया है। एक पद्धति है मानकीकृत माप विधि (एसएमएम) के अनुसार मानकीकृत रूप में बाजार जोखिम की माप करना जिसका प्रयोग 31 मार्च 2005 से भारत के बैंक कर रहे है। आंतरिक मोडेल विधि (आइएमए) नामक एक वैकल्पिक पद्धति भी उपलब्ध है जिसमें बैंक अपने आंतरिक बाजार जोखिम प्रबंध मोडेलों से प्राप्त जोखिम मापों का प्रयोग कर सकते हैं। आइएमए के अंतर्गत अनुमत मोडेल में बाजार जोखिम के प्रति एक्सपोज़र की जोखिम-पर-मूल्य (वीएआर) आधारित माप की गणना की जाती है। एसएमएम की तुलना में आइएमए को जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है तथा इसमें बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार को बाजार जोखिम घटकों में उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित वास्तविक हानि के अधिक अनुरूप बनाया गया है।

3. बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार की माप करने के लिए आंतरिक मोडेलों के प्रयोग पर लागू दिशानिर्देश अनुबंध में दिये गये हैं। आरंभ में बैंक सामान्य बाजार जोखिम का मोडेल बना सकते हैं तथा विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए एसएमएम के प्रयोग को जारी रख सकते हैं। तथापि, बैंकों को वृद्धिशील जोखिम सहित विनिर्दिष्ट जोखिम का मोडेल बनाने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

4. जो बैंक बाजार जोखिम के पूंजी भार की गणना के लिए आइएमए अपनाना चाहते हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। जब वे आइएमए आरंभ करने के लिए तैयार हो जाएँ तो पहले इस अभिप्राय की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, 12वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400001) को भेजें। भारतीय रिज़र्व बैंक पहले बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली और उसकी मोडेलिंग प्रक्रिया का एक प्राथमिक मूल्यांकन करेगा। यदि प्राथमिक मूल्यांकन का परिणाम संतोषजनक रहा तो भारतीय रिज़र्व बैंक संबंधित बैंक को अनुमति देगा कि वह एक निर्धारित फॉर्मेट में, जिसे बाद में बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा, आइएमए अपनाने के लिए औपचारिक आवेदन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक उसके बाद बैंक के मोडेल का विस्तृत विश्लेषण करेगा ताकि उसे अनुमोदन दिया जा सके।

5. यह दोहराया जाता है कि बैंकों के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वे बाजार जोखिम के लिए आइएमए अपनाएँ और ऋण तथा परिचालन जोखिमों के लिए पूंजी भार की गणना हेतु सरलतर विधियों का प्रयोग जारी रखें।

भारिबैं /2009-10/387 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी.सं. 65/03.05.33/2009-10 दिनांक 8 अप्रैल 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

चेक संग्रहण नीति (सीसीपी) - स्थानीय/ बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट

कृपया दिनांक 5 फरवरी 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 87/03.05.33/ 2008-09 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार स्थानीय और बाहरी चेकों के संग्रहण के संबंध में अपनी चेक संग्रहण नीतियां तैयार करने हेतु सूचित किया गया था।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि चेक संग्रहण नीति में, संग्रहण में हुए विलंब के लिए ब्याज भुगतान तथा स्थानीय/बाहरी लिखतों के संग्रहण हेतु समय-सीमा की पहलुओं के अलावा स्थानीय/बाहरी चेक के तत्काल क्रेडिट पर अनुदेश शामिल होने चाहिए।

भारिबैं/2009-10/388 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 66/05.04.02/2009-10 दिनांक 8 अप्रैल 2010

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

हम उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 26 मार्च 2010 का पत्र एफ.सं. 3/9/2008-एसी की प्रतिलिपि इसके साथ प्रेषित कर रहे हैं जिसकी विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट है।

2. अनुरोध है कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें तथा योजना में हुए परिवर्तन का व्यापक प्रचार करें जैसाकि उपर्युक्त पत्र में बताया गया है ताकि किसान एडीडब्ल्यूडीआर योजना, 2008 का अधिकतम लाभ उठा सकें।

3. इस संबंध में हम आपका ध्यान दिनांक 4 सितंबर 2008 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 24/05.04.02/2008-09 के पैरा 2 (एफ) की ओर आकर्षित करते हैं। 31 दिसंबर 2009 तक सामने आये 'ऋण राहत' से संबंधित ''अंतिम'' दावे (31 जनवरी 2010 तक परिचालित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निपटाये गये मामलों सहित) निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित इस विभाग को 30 जून 2010 तक प्रस्तुत किए जाएं जैसा कि उक्त परिपत्र में बताया गया है।

4. भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त पत्र के पैरा 5 के अनुसार उधारकर्ता संस्थानों को 25% राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए चूंकि भारत सरकार द्वारा उधारकर्ता संस्थानों को योजना की छः माह की विस्तार अवधि के लिए कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा, बैंक उन ''ऋण राहत'' संबंधी मामले जो 1 जनवरी 2010 से 30 जून 2010 की अवधि के दौरान निपटाये जायेंगे (1 फरवरी 2010 से 31 जुलाई 2010 तक परिचालित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निपटाये गये मामलों सहित) पर एक अलग दावा इस विभाग को प्रेषित करें जिसे ऊपरोल्लिखित दिनांक 4 सितंबर 2008 के हमारे परिपत्र में बताये अनुसार केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित किया जाए। यह दावा ''अतिरिक्त अंतिम दावा - ऋण राहत - ब्याज के लिए पात्र नहीं'' के रूप में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए तथा 30 जून 2011 तक इस कार्यालय में पहुँच जाना चहिए।

4. उपर्युक्त परिपत्र की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

बैंकों को जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

भारिबैं /2009-10/390 बैंपविवि.सं. डीआइआर. बीसी.88/13.03.00/2009-10 दिनांक 9 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

आधार दर के संबंध में दिशानिर्देश

वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली की समीक्षा करने और ऋण के ब्याज निर्धारण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए

बेंचमार्क मूल उधार दर पर एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती) गठित किया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2009 में दी तथा जनता के सुझावों के लिए उसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। कार्यदल की सिफारिशों तथा विभिन्न हितधारकों के सुझावों के आधार पर फरवरी 2010 में आधार दर संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया।

2. प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक आधार दर प्रणाली अपनाएं। वर्ष 2003 में आरंभ हुई बीपीएलआर प्रणाली उधार दरों में पारदर्शिता लाने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने से चूक गयी। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि बीपीएलआर प्रणाली के अंतर्गत बैंक बीपीएलआर से कम दर पर भी उधार दे सकते थे। इसी कारण रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों का बैंक की उधार दरों में संचरण का मूल्यांकन करना भी कठिन था। आधार दर प्रणाली का उद्देश्य बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और मौद्रिक नीति के संचरण के बेहतर मूल्यांकन को संभव बनाना है। तदनुसार, बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं:

आधार दर

i. आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से बीपीएलआर प्रणाली का स्थान लेगी। आधार दर में उधार दरों के वे सब तत्व होंगे जो उधारकर्ताओं के सभी संवर्गों में सर्वसामान्य हैं। बैंक किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आधार दर निर्धारित करने के लिए कोई भी बेंचमार्क तय कर सकते हैं, जिसे पारदर्शी तरीके से प्रकट किया जाना चहिए। आधार दर की गणना का एक उदाहरण **अनुबंध** में दिया गया है। बैंक कोई और उपयुक्त विधि अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वह सुसंगत हो और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा /जांच के लिए उपलब्ध हो।

ii. बैंक ऋणों और अग्रिमों के संबंध में अपनी वास्तविक उधार दरों का निर्धारण आधार दर को संदर्भ मानते हुए तथा यथोपयुक्त अन्य ग्राहक - विशेष प्रभारों को शामिल करते हुए कर सकते हैं।

iii. आधार दर की गणना की प्रणाली सुस्थिर होने तक बैंकों को कुछ समय देने के लिए, बैंकों को अनुमति दी जाती है कि आरंभिक छह महीने की अवधि अर्थात् दिसंबर 2010 तक के दौरान किसी भी समय वे बेंचमार्क और क्रियाविधि में परिवर्तन कर सकते हैं।

iv. वास्तविक उधार दरें पारदर्शी और सुसंगत होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षीय समीक्षा /जांच के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

आधार दर की प्रयोज्यता

v. सभी प्रकार के ऋणों की ब्याज दरें आधार दर के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित ऋण संवर्गों की ब्याज दरें आधार दर के संदर्भ के बिना तय की जा सकती हैं : (क) डीआरआई अग्रिम (ख) बैंक के अपने कर्मचरियों को ऋण (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि की प्रतिभूति पर ऋण।

vi. अस्थिर दर वाले ऋण उत्पादों के लिए बाह्य बाजार बेंचमार्क दरों के अलावा आधार दर भी संदर्भ बेंचमार्क दर हो सकती है। तथापि बाह्य बेंचमार्क पर आधारित अस्थिर ब्याज दर मंजूरी या नवीकरण के समय की आधार दर के बराबर या उससे अधिक होनी चहिए।

vii. आधार दर में परिवर्तन बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से आधार दर से जुड़े सभी वर्तमान ऋणों पर लागू होगा।

viii. चूंकि आधार दर सभी ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी, बैंकों को आधार दर से कम में उधार देने की

अनुमति नहीं है। तदनुसार, 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए उच्चतम दर के रूप में बीपीएलआर की वर्तमान व्यवस्था समाप्त की जा रही है। ऐसी आशा है कि उधार दर को उपर्युक्त रीति से नियंत्रणमुक्त करने से छोटे उधारकर्ताओं को तर्कसंगत दर पर अधिक ऋण मिलेगा और प्रत्यक्ष बैंक वित्तपोषण से उच्च लागत वाले अन्य प्रकार के ऋणों को कड़ी चुनौती मिलेगी।

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक निर्यात ऋण के लिए प्रावधान की अलग से घोषणा करेगा।

आधार दर की समीक्षा

x. बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तिमाही में कम-से-कम एक बार बैंक की प्रथा के अनुसार, बोर्ड या अस्ति देयता प्रबंध समिति के अनुमोदन से आधार दर की समीक्षा करें। चूंकि उधार उत्पादों के ब्याज निर्धारण की पारदर्शिता एक प्रमुख लक्ष्य है, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आधार दर के संबंध में सूचना अपनी सभी शाखाओं तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। आधार दर में परिवर्तन की सूचना भी समय-समय पर समुचित माध्यमों से सामान्य जनता को दी जानी चाहिए। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पहले की तरह ही तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को वास्तविक न्यूनतम और उच्चतम उधार दरों की सूचना देते रहें।

संक्रमणकालीन मुद्दे

xi. आधार दर प्रणाली सभी नये ऋणों पर और पुराने ऋणों के नवीकरण पर लागू होगी। बीपीएलआर प्रणाली पर आधरित वर्तमान ऋण परिपक्वता तक जारी रह सकते हैं। यदि वर्तमान उधारकर्ता वर्तमान संविदा की समाप्ति के पहले नई प्रणाली अपनाना चाहें तो परस्पर सहमत शर्तों पर उन्हें यह विकल्प प्रदान किया जा सकता है। तथापि, बैंकों को इस बदलाव के लिए कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

xii. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अपने बोर्ड/आस्ति देयता प्रबंध समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपनी आधार दरों की घोषणा कर सकते हैं।

प्रभावी तारीख

xiii. आधार दर प्रणाली पर उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 जुलाई 2010 से प्रभावी होंगे।

भारिबैं/2009-10/392 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.64/04.09.01/2009-10 दिनांक 9 अप्रैल 2010

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
[सभी देशी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - निर्यात में सक्रिय माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम

कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित माइक्रो और लघु उद्यम, जो बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए गए हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं।

2. कुछ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात में सक्रिय माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रदत्त ऋणों के वर्गीकरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसइ) (उत्पादन एवं सेवाएं) को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं बशर्ते ऐसे उद्यम एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 में निहित एमएसइ क्षेत्र की परिभाषा पूरी करते हों, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि उधारकर्ता इकाई निर्यात या अन्य में सक्रिय है या नहीं।

3. एमएसइ को प्रदत्त निर्यात ऋण को ''माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को निर्यात ऋण'' शीर्ष के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट किया जाए।

भारिबैंक/2009-10/405 एफएमडी.एमआएएजी.सं.43/01.01.01/2009-10 दिनांक 20 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारी

चलनिधि समायोजन सुविधा - रिपो तथा रिवर्स रिपो दरें

वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर को 5.00 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत करने और रिवर्स रिपो को 3.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 3.75 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और यह तत्काल रूप से प्रभावी है।

2. वर्तमान चलनिधि समायोजन सुविधा के अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तनीय हैं।

भारिबैंक/2009-10/407 संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 90/12.01.001/2009-10 दिनांक 20 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि

कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 जनवरी 2010 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 71/12.01.001/2009-10 देखें।

2. वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर तथा 20 अप्रैल 2010 को जारी रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-2011 में वर्णित नीतिगत दृष्टिकोण के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वणिज्य बैंक के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 24 अप्रैल 2010 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. 20 अप्रैल 2010 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 89/12.01.001/2009 - 10 की प्रतिलिपि संलग्न है।

बैंकों को जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश यथोचित परिवर्तनों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे।

भारिबैंक/2009-10/420 भारिबैंक /डीपी सं.2303 / 02.14.003/2009-10 दिनांक 23 अप्रैल 2010

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, आरआरबी/शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सहित

क्रेडिट / डेबिट कार्ड लेनदेन - सुरक्षा मुद्दों तथा आइवीआर लेनदेन के लिए जोखिम शमन उपाय

कृपया 18 फरवरी 2009 का हमारा परिपत्र आरबीआइ /डीपीएसएस/सं. 1501/02.14.003/2008-2009 देखें, जिसमें बैंकों को यह यह निदेश जारी किया गया था कि आइवीआर लेनदेन को छोड़कर कार्ड की मौजूदगी के बिना किए गए सभी ऑन लाइन लेनदेनों (सीएनपी) के लिए कार्ड पर न दर्शाई गई जानकारी के आधार पर अतिरिक्त अधिप्रमाणन / प्रमाणीकरण व्यवस्था को स्थापित करना अनिवार्य है।

2. बैंकों / कार्ड कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद आइवीआर लेनदेन सहित सभी सीएनपी लेनदेनों के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन / प्रमाणीकरण की आवश्यकता को विस्तारित किया गया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 01 जनवरी 2011 से सभी सीएनपी लेनदेनों पर उक्त परिपत्र की अपेक्षा को लागू करें।

3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निदेश जारी कर दिए गए हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में निहित अनुदेशों तथा समय अनुशासन का कड़ाई से पालन करें। निदेशों का अनुपालन न करने वालों को अधिनियम के निर्धारण के अनुसार दंडित किया जाएगा।

भारिबैंक/2009-10/426 बैंपविवि.डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी.सं.94/04.02.01/2009-10 दिनांक 23 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

कृपया 31 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.डीआइआर.(ईएक्सपी)).बीसी.सं.26/04.02.001/2009-10 देखें। इस संबंध में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक नीचे उल्लिखित रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों में लदानपूर्व और लदानोत्तर रुपया ऋण पर 2 प्रतिशत अंक की ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया है :

i. हस्तशिल्प
ii. कार्पेट
iii. हथकरघा
iv. छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) (जैसा कि अनुबंध में परिभषित किया गया है)

2. वर्तमान दिशनिर्देशों के अनुसार बैंक 270 दिन तक के रुपया लदानपूर्व ऋण पर तथा 180 दिन तक के रुपया लदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम तक की ब्याज दर लगाते हैं। अब बैंक ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए बकाया रशि पर 270 दिन तक के लदानपूर्व ऋण पर तथा 180 दिन तक के लदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत अंक कम तक की ब्याज दर लगायेंगे। तथपि, कुल ब्याज सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि ब्याज सहायता के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत से नीचे नहीं हो जाएगी, जो दर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पर लागू होती है। बैंक यह सुनिश्चित करें कि 2 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ पात्र निर्यातकों को पूरी तरह मिलता है।

3. निर्यातकों के अन्य संवर्गों के लिए 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर.(ईएक्सपी) बीसी.सं.54/04.02.001/2009-10 के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. ब्याज सहायता का दावा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

i) संलग्न फार्मेट में संबंधित तिमहियों के अंत में प्रस्तुत दावे के आधार पर सहायता की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ii) सहायता राशि की गणना निर्यात ऋण राशि पर की जाएगी और इसकी अवधि ऋण वितरण की तारीख से

   क. ऋण की चुकौती की तारीख तक; अथवा

   ख. उस तारीख तक जिसके परे बकाया निर्यात ऋण अतिदेय हो जाती है; अथवा

   ग. लदानपूर्व ऋणों के लिए 270 दिनों तक और लदानोत्तर ऋणों के लिए 180 दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

iii) दावे के साथ किसी बाह्य लेखा परीक्षक का यह प्रमाण पत्र होना चहिए कि संबंधित तिमाही के लिए . . . . . रुपये की ब्याज सहायता का दावा सही है। दावे का निपटान इस प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर ही किया जाएगा।

iv) दावे संलग्न फार्मेट में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई - 400 005 को प्रस्तुत किए जाएं।

आरबीआइ/2009-10/432 बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/22.01.009/2009-10 दिनांक 26 अप्रैल 2010

सभी अनुसूचित वणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)

बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग

कृपया वर्ष 2010-11 के वार्षिक वक्तव्य का पैरा 79 देखें, जो व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल से संबंधित दिशनिर्देशों में प्रस्तवित छूट दिये जाने के संबंध में है।

2. व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल से संबंधित वर्तमान दिशनिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों के केवल कुछ चुनिंदा संवर्गों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 24 अप्रैल 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.009/ 2007-08 के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद, 30 नवंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/ 22.01.009/2009-10 के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है : (i) ऐसे व्यक्ति जो किराना/मेडिकल/उचित मूल्य दुकानदार हैं (ii) ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) ऑपरेटर हैं (iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट (iv) ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पम्प के स्वामी हैं (v) सेवानिवृत्त शिक्षक और (vi) बैंकों से संबद्ध सुसंचलित स्वयं-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता।

3. उपर्युक्त की समीक्षा करने के बाद तथा बैंकों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने सुविधानुसार किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें सामान्य सेवा केंद्र चलाने वाले भी शमिल हैं, बशर्ते वे उनके संबंध में समुचित सावधानी बरतते हैं तथा एजेंसी जोखिम को कम-से-कम रखने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करते हैं।

4. हमारे 30 नवंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/ 2009-10 की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भारिबैं/2009-10/441 ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.78/ 04.09.01/2009-10 दिनांक 30 अप्रैल 2010

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
[सभी देशी अनुसूचित वणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण

कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र देखें जिसके अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण, जैसकि उसमें दर्शाया गया है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं।

2. कुछ वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में सक्रिय इकाइयों तथा खाद्य एवं कृषि आधरित प्रसंस्करण इकाइयों को निर्यात ऋण के माध्यम से प्रदत्त कार्यशील पूंजी सीमाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि उधारकर्ता इकाई निर्यात या अन्य में सक्रिय है या नहीं।

3. कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त निर्यात ऋण को ''कृषि क्षेत्र को निर्यात ऋण'' शीर्ष के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट किया जाए।